

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक 14.3.2016


बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.3.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-


1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 14 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक मुख्यालय पर बुलायी जाए। योजना प्रभारी प्रत्येक जिले से 5 कार्यों की सूची रेण्डम आधार पर थर्ड पार्टी को अपने स्तर पर उपलब्ध करायेंगे तथा उनको भुगतान भी संबंधित योजना प्रभारी करेंगे। थर्ड पार्टी का भुगतान इस सप्ताह में कर दिया जाय।
(एसई,आईएवाई)
2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट के लिए प्रपत्र अ,ब,स,द पूर्ण कर पत्रावली संयुक्त शासन सचिव प्रशासन के पास विचाराधीन है।
(सं.शा.सचिव,प्रशा.)

 - आवास योजना में 85162 लक्ष्य के विरुद्ध 102978 पंजीकरण, 79463 स्वीकृतियों, 85392 एकाउन्ट वरीफाई एवं 77972 एफटीओ साईन हुए हैं।
 - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 3000 के विरुद्ध 3387 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2200 की स्वीकृति जारी हुई है। प्रथम किश्त लगभग 1000 रिलीज की गई है।
 - बीएसआर पर सामग्री क्रय करने का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेजकर विधान सभा पटल पर रखने की कार्यवाही करें।
 - आवास हेतु सैक 2011 का डेटा उपयोग हेतु आज दिनांक 14.3.2016 को बैठक रखी जाए।
 - आवास सहायकों को मोबाईल एप की सहायता से फोटो अपलोड हेतु पंचायत समिति का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु जिलों को निर्देशित करें।
(एसई,आईएवाई)

3. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 193 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें।
 1. चयनित ग्राम पंचायतों की अच्छी परफोरमेंस वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए।
 2. चयनित ग्राम पंचायतों में विशेष ध्यान नहीं दिये जाने वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाए।
 3. एमएजीपीवाई योजना में सफलता के कार्यों की बुक दि0 15.3.2016 तक छपवाई जाए जिसमें प्रत्येक जिले के एक कार्य को अवश्य शामिल करें।
(पीडी,एसएपी)
4. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में राज्य को 50 करोड रुपये एसएजीवाई/एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिन जिलों द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की गयी है उनसे राशि अन्य जिलों को हस्तान्तरित की जाए ताकि 31 मार्च 2016 तक राशि व्यय हो सके।
(प्रभारी श्री योजना)
5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन - कलस्टर की सूचना सभी योजना प्रभारियों को यू.ओ. नोट के तहत दें।
(पीडी मोएवमू)




6. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी को फण्ड स्थानान्तरित हेतु बैठक रखी जाए।
(पीडी एसएपी)
7. विधान सभा के 70 प्रश्न लम्बित है। जिसमें एसएपी प्रथम अनुभाग के -22, एसएपी द्वितीय अनुभाग के -7, मो0 एवं मू0 के 7, बीपीएल के -15, अधीक्षण अभियन्ता ग्रा0वि0 के -15, वित्तीय सलाहकार का-1, अधीक्षण अभियन्ता श्रीयोजना का-1 एवं आजीविका के -2 लम्बित प्रश्न है।
(योजना प्रभारी)
8. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की प्रगति कार्यवार एवं राशिवार समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस से की जाए।
(वित्तीय सलाहकार)
9. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावे, जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे।
(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना)
10. विभिन्न योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।
(एसई, आईएवाई)
11. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ विभाग की योजनाओं के तहत करवाये जाने वाले कार्यों के साथ-साथ जिला बारां, धौलपुर एवं झालावाड के लिए विशेष सहायता के लिए शासन सचिव ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में बैठक रखी जाए।
(पीडी एमएण्डई)
12. पंचायतीराज से तीन योजनाओं को आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में डालने हेतु प्रस्ताव के क्रम में शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में बैठक रखी जाए।
(पीडी.मोएवंमू)
13. 50.00 लाख रुपये पंचायतीराज विभाग के इण्टीग्रेटेड वैब डवलपमेंट के लिए दिये जाये। यह राशि आईएवाई, प्रशासनिक मद से ली जायेगी।
(पीडी एसएपी)


परि०निदेश० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रा.वि. विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि. विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक (एसएपी-II) ग्रा.वि. विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोपयूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/ श्रीयोजना/ पंचायतीराज
9. श्रीमती सुनिता जी, एनआईसी
10. श्री मुकेश विजय, एक्सईएन, महात्मा गांधी नरेगा
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


परि०निदेश० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)